dUnh; ek?;fed f’k{kk ckM
2] lkeqnkf;d dUn] iht fogkj] fnYyh&110092

स0: समन्वय / स0स0 / एफ–08 / 2010 दिनांक :..................

vf/klpuk

fo"k; % ijh{kk mifu;ek e l’kk/ku@l;ktu

दिनांक 30.11.2009 को आयोजित परीक्षा समिति की सिफारिषों एवं बोर्ड के शासी निकाय द्वारा दिनांक 23.12.2009 को आयोजित बैठक में इसके विधिवत् अनुसमर्थन किये जाने के अनुसरण में बोर्ड के परीक्षा उपनियमों में निम्नलिखित संषोधन / संयोजन किए गए हैं : –

mRrj iqfLrdkvk d j[k j[kko d fy, vkofor l lcf/kr ijh{kk mifu;ek d v/;k; 8 d rgr fu;e 62 e l’kk/ku %

वर्तमान नियम	संषोधित नियम
उत्तर पुस्तिकाओं को तीन महीने की अवधि के लिए रखा जाएगा और इसके बाद समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा यथा निर्णीत ढंग से निपटान किया जाएगा ।	उत्तर पुस्तिकाओं को दो महीने की अवधि के लिए रखा जाएगा और इसके बाद समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा यथा निर्णीत ढंग से निपटान किया जाएगा ।

fuEufyf[kr ijh{kkfFk;k d fy, ijh{kkvk e iqo’k grq ekun.M lc/kh ijh{kk mifu;ek d v/;k; 4 d rgr fu;e 12¼ii½ e l’kk/ku

वर्तमान नियम	संषोधित नियम
12(ii) उसने किसी अन्य बोर्ड या विष्व विद्यालय की समकक्ष अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण नही की है;	12(ii) उसने इस बोर्ड से अथवा किसी अन्य बोर्ड अथवा विष्वविद्यालय की समकक्ष अथवा उच्च परीक्षा उत्तीर्ण नही की है;

दिनांक 22.06.2010 को आयोजित परीक्षा समिति की सिफारिषों एवं बोर्ड के शासी निकाय द्वारा दिनांक 29.06.2010 को आयोजित बैठक में इसके विधिवत् अनुसमर्थन किये जाने के अनुसरण में बोर्ड के परीक्षा उपनियमों में निम्नलिखित संषोधन/ संयोजन किए गए है : –

अध्याय सं0	अध्याय का नाम	नियम सं0	नियम सं0 नियम षीर्षक
1	संक्षिप्त नाम	2	परिभाषाएं

वर्तमान नियम	संषोधित नियम
2(iv)(क) नई परिभाषा	2(iv)(क) 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई)' का अर्थ अनुदेषात्मक समय की कुल अवधि में विस्तारित मूल्यांकन के षैक्षिक और सह–षैक्षिक दोनों क्षेत्रों में विद्यालय स्तर पर कक्षा x तक विद्यार्थियों का निर्धारण करना है।
2(v) 'परीक्षा' से केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएं अभिप्रेत हैं।	2(v) 'परीक्षाए' से अभिप्राय केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं/केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड के संबद्ध किसी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा x) परीक्षा से है।
2(vii)(क) नई परिभाषा	2(vii)(क) 'ग्रेड' का अभिप्राय षैक्षिक क्षेत्र क (संख्यात्मक अंक के बदले में), षैक्षिक क्षेत्र ख तथा सह–षैक्षिक क्षेत्र के तहत विषयों में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/बोर्ड द्वारा 'ग्रेड' प्रदान करना है।

1	संक्षिप्त नाम	3	निर्वचन
3(iii) नया निर्वचन		3(iii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए अनुबद्ध नियम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के तहत माध्यमिक विद्यालय (कक्षा x) परीक्षा आयोजित कराने वाले बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी लागू होंगे।	

2.	बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं	5.1 (iv)	

(iv) अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (पूरक) (कक्षा X) जुलाई का अंतिम सप्ताह/अगस्त का प्रथम सप्ताह। (v) अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/ प्री–डेन्टल प्रवेष परीक्षा अप्रैल का आखिरी रविवार। (vi) अखिल भारतीय इंजीनियरिंग/ फार्मेसी/आर्किटेक्चर प्रवेष परीक्षा ebl dk nl jk jfookj	(iv) अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (पूरक) (कक्षा X) जुलाई का तीसरा सप्ताह। (V) अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/ प्री–डेन्टल प्रवेष परीक्षा प्रारंभिक– अप्रैल का प्रथम रविवार। मुख्य– मई का दूसरा रविवार। (vi) अखिल भारतीय इंजीनियरिंग फार्मेसी/ आर्किटेक्चर प्रवेष परीक्षा अप्रैल का चौथा रविवार।
3. विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेष, विद्यार्थियों का स्थानांतरण/अंतरण।	6.5
6.5 बोर्ड से सम्बद्ध किसी भी विद्यालय में कक्षा 9 तथा उससे उच्चतर किसी कक्षा में 31 अगस्त के बाद किसी भी विद्यार्थी को, अध्यक्ष, सी.बी.एस.ई./सक्षम प्राधिकारी जैसा कि राज्य/संघ षासित षिक्षा अधिनियम में यथापरिभाषित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेष नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्त के बाद ऐसे प्रवेष की अनुमति के आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से भिजवाए जाएं जिसमें ऐसे अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया गया हो। परीक्षा में पात्र होने के लिए परीक्षार्थी की बोर्ड की परीक्षा उप–विधि के अनुसार कक्षा IX, IX, XI तथा XII में उपस्थिति प्रतिषत (75 प्रतिषत) पूर्ण करना होगा। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड द्वारा देरी से घोषित परीक्षा–परिणामों के कारण विद्यार्थी उच्चतर कक्षा में विहित तिथि तक प्रवेष नहीं ले सका, इस प्रकार की अनुमति की आवष्यकता नहीं होगी बषर्ते कि विद्यार्थी	6.5 बोर्ड से सम्बद्ध किसी भी विद्यालय में कक्षा 9 तथा उससे उच्चतर किसी कक्षा में 31 अगस्त के बाद किसी भी विद्यार्थी को अध्यक्ष, सी.बी.एस.ई./सक्षम प्राधिकारी जैसा कि राज्य/संघ षासित षिक्षा अधिनियम में यथापरिभाषित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेष नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्त के बाद ऐसे प्रवेष की अनुमति के आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से भिजवाए जाएं जिसमें ऐसे अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया गया हो। बोर्ड/ विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए पात्र होने के लिए परीक्षार्थी को बोर्ड की परीक्षा उप–विधि के अनुसार कक्षा IX, X, XI तथा XII में उपस्थिति प्रतिषत (75 प्रतिषत) पूर्ण करना होगा। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा देरी से

की आवष्यकता नहीं होगी बषर्ते कि विद्यार्थी ने परीक्षा–परिणाम घोषित होने की तिथि के दो सप्ताह के भीतर प्रवेष के लिए आवेदन किया हो।	घोषित परीक्षा–परिणामों के कारण विद्यार्थी उच्चतर कक्षा में विहित तिथि तक प्रवेष नहीं ले सका, इस प्रकार की अनुमति की आवष्यकता नहीं होगी बषर्ते कि विद्यार्थी ने परीक्षा–परिणाम घोषित होने की तिथि के दो सप्ताह के भीतर प्रवेष के लिए आवेदन किया हो।
3. विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेष, विद्यार्थियों का स्थानांतरण/अंतरण	7.3 कक्षा X में प्रवेष
जैसाकि पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है कि माध्यमिक स्तर पर दो वर्ष का सम्पूर्णता कोर्स है, कक्षा X में कोई भी प्रवेष सीधे नही होगा। विद्यालय में कक्षा X में विद्यार्थी को तभी प्रवेष दिया जाएगा बषर्ते कि उसने :– क) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान से कक्षा IX का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। ख) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान से कक्षा IX का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो तथा कक्षा IX की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और माता–पिता का स्थानान्तरण होने पर एक षहर के अन्दर /राज्य से दूसरे में अन्तरण होने पर अथवा उसके परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने पर विद्यार्थी से अंकतालिका और बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित अतंरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर और	जैसाकि पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है कि माध्यमिक स्तर पर दो वर्ष का सम्पूर्णता कोर्स है कक्षा X में कोई भी प्रवेष सीधे नही होगा। विद्यालय में कक्षा X में विद्यार्थी को तभी प्रवेष दिया जाएगा बषर्ते कि उसने :– क) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान से कक्षा IX का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। ख) कक्षा IX का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा किया हो और इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित कक्षा IX परीक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत षैक्षिक क्षेत्र 'ख' के आधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त करने के अलावा षैक्षिक क्षेत्र क के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोडकर) में कम से कम डी ग्रेड प्राप्त किया हो और माता–पिता का स्थानांतरण होने पर एक षहर के अन्दर /राज्य से दूसरे में अन्तरण होने अथवा उसके परिवार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होने पर विद्यार्थी से रिपोर्ट बुक तथा बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंतरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर, और

(ग) ऐसा विद्यार्थी जिसने इस बोर्ड से भिन्न भारत में किसी मान्यता प्राप्त/ संबद्ध संस्थान से कक्षा IX की परीक्षा उत्तीर्ण की हो को विद्यालय में प्रवेष उनके माता–पिता के स्थानान्तरण या उसके परिवार के स्थानान्तरण करने पर विद्यार्थी की अंकतालिका और संबंधित बोर्ड के षैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित अंतरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर दिया जा सकता है। उपर्युक्त नियमों में किसी बात के होते हुए विद्यार्थी को अनुचित परेषानी से बचाने के लिए बेहत्तर षैक्षिक निष्पादन, चिकित्सा कारणों इत्यादि से विद्यालय परिवर्तन की अनुमति देने की षक्ति अध्यक्ष को होगी। ऐसे प्रवेषों के संबंध में विद्यालय विद्यार्थी को प्रवेष देने के एक महीने के भीतर बोर्ड से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त करेगा।	(ग) ऐसा विद्यार्थी जिसने इस बोर्ड से भिन्न भारत में किसी मान्यता प्राप्त/ संबद्ध संस्थान से कक्षा IX की परीक्षा उत्तीर्ण की हो को विद्यालय में प्रवेष उनके माता–पिता के स्थानान्तरण या उसके परिवार के स्थानान्तरण करने पर विद्यार्थी की अंकतालिका और संबंधित बोर्ड के षैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित अंतरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने पर दिया जा सकता है। उपर्युक्त नियमों में किसी बात के होते हुए विद्यार्थी को अनुचित परेषानी से बचाने के लिए बेहत्तर षैक्षिक निष्पादन, चिकित्सा कारणों इत्यादि से विद्यालय परिवर्तन की अनुमति देने की षक्ति अध्यक्ष को होगी। ऐसे प्रवेषों के संबंध में विद्यालय विद्यार्थी को प्रवेष देने के एक महीने के भीतर बोर्ड से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त करेगा।

3	विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेष, विद्यार्थियों का स्थानान्तरण/ अतंरण	7.4	कक्षा XI में प्रवेष

7.4 किसी विद्यालय में कक्षा XI में प्रवेष ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो :– (क) इस बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X परीक्षा); अथवा	7.4 किसी विद्यालय में कक्षा XI में प्रवेष ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा, जिसने :– (क) इस बोर्ड/इस बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा X) परीक्षा में एक अर्हक प्रमाण–पत्र और अध्ययन की योजना के अनुसार षैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त की हो। (ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक

(ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक षिक्षा बोर्ड/भारतीय विष्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा और जिसे इस बोर्ड द्वारा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो।	षिक्षा बोर्ड/भारतीय विष्व विद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिसे इस बोर्ड द्वारा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो; तथा उपर्युक्त नियमों में किसी बात के होते हुए विद्यार्थियों को जिन्होंने बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में षामिल होने का विकल्प नही दिया हो, किंतु परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने, माता–पिता का स्थानान्तरण होने के आधार पर बोर्ड से संबद्ध किसी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय को बदल रहा हो, विद्यार्थी को अनुचित परेषानी से बचाने के लिए बेहतर षैक्षिक निष्पादन अथवा चिकित्सा आधार पर कक्षा XI में प्रवेष की अनुमति देने की षक्ति अध्यक्ष के पास होगी।

3	प्रवेष प्रक्रिया	8	प्रवेष प्रक्रिया

(V) बोर्ड की परीक्षा के लिए उसका नाम भेजे जाने के बाद सत्र के दौरान किसी विद्यार्थी को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित होने की अनुमति नही होगी। यह षर्त अध्यक्ष द्वारा केवल विषेष परिस्थितियों में ही हटाई जा सकती है।	(V) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा X) तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र (कक्षा XII) परीक्षाओं के लिए उसका नाम भेजे जाने के बाद सत्र के दौरान किसी विद्यार्थी को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित होने की अनुमति नही होगी। यह षर्त अध्यक्ष द्वारा केवल विषेष परिस्थितियों में ही हटाई जा सकती है।

4	परीक्षाओं में प्रवेष	9	सामान्य
इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, जिस परीक्षार्थी को किसी भी कारण से विद्यालय से निकाल दिया गया है या निष्कासन का दंड दिया गया है या किसी परीक्षा में भाग लेने या बैठने से रोका गया है, उसको बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जाएगी।		इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, जिस परीक्षार्थी को किसी भी कारण से विद्यालय से निकाल दिया गया है या निष्कासन का दंड दिया गया है या किसी परीक्षा में भाग लेने या बैठने से रोका गया है, उसको बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय	

	प्रमाण–पत्र / माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं में प्रवेष नही दिया जाएगा।

4	परीक्षाओं में प्रवेष	10.1	नियमित परीक्षार्थी के रूप में अथवा भारतीय / दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा के लिए षैक्षणिक योग्यताएं
10.1 अखिल भारतीय / दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को :– (क) इस बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा (कक्षा x) अथवा उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा में भाग लेगी / लेगा, के कम से कम दो वर्ष पहले किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड / विष्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए; और (iv) नया नियम		अखिल भारतीय / दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा (कक्षा xII) में भाग लेगा / लेगी के कम से कम दो वर्ष पहले निम्नलिखित को प्राप्त / में अर्हता प्राप्त कर लेना चाहिए :– क(i) षैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत अध्ययन के कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड प्राप्त हो और उस वर्ष जिसमें वह बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा (कक्षा xII) में भाग लेगा / लेगी के कम से कम दो वर्ष पहले बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा x) में अर्हक प्रमाण–पत्र प्राप्त हो, अथवा (ii) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय की छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड के अलावा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित वरिष्ठ विद्यालय परीक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अधीन शैक्षिक क्षेत्र ख के अधीन विषयों में और सह–शैक्षिक क्षेत्र में ग्रेड प्राप्त हो और विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाण–पत्र जो बोर्ड द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो, प्राप्त हो; अथवा (iii) किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड / विष्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। (iv) इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान से	

(ख) उपर्युक्त में निर्दिष्ट माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X) में आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक विषय में ग्रेड 'ई' से उच्च ग्रेड प्राप्त होना चाहिए।	अथवा भारत में किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से संबद्ध/द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से कक्षा XI की परीक्षा उस वर्ष से जिसमें वह बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण–पत्र परीक्षा में भाग लेगा/लेगी से एक वर्ष पूर्व उत्तीर्ण की हो। (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X) में शैक्षिक क्षेत्र 'ख' तथा सह–षैक्षिक क्षेत्रों के अधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त हो।

4.	परिक्षाओं में प्रवेष	10.2 10.3	अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यताएं
10.2 आखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए अभ्यार्थी को :–			
(क) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10 में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व किसी बोर्ड अथवा संबद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालय से मिडिल विद्यालय परीक्षा (कक्षा VIII) उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक विषय में ग्रेड 'ई' से उच्च ग्रेड प्राप्त होना चाहिए तथा (ग) अध्ययन योजना में निर्धारित अपेक्षा के अनुसार तृतीय भाषा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (घ) नया नियम		(क) बोर्ड/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10 वीं में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व किसी बोर्ड अथवा संबद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालय से मिडिल विद्यालय परीक्षा (कक्षा VIII) उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक विषय में ग्रेड 'ई' से उच्च ग्रेड प्राप्त होना चाहिए तथा (ग) अध्ययन योजना में निर्धारित अपेक्षा के अनुसार तृतीय भाषा उत्तीर्ण होनी चाहिए। (घ) बोर्ड/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक (कक्षा X) परीक्षा में बैठने के कम से कम एक वर्ष पूर्व शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन अध्ययन के सभी पॉच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड और शैक्षिक क्षेत्र	

	'ख' तथा सह–षैक्षिक क्षेत्रों के अधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त करते हुए कक्षा IX परीक्षा में अर्हता प्राप्त की होनी चाहिए।
(ड़) नया नियम	(ड़) बोर्ड/बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक (कक्षा X) परीक्षा में बैठने से कम से कम एक वर्ष पूर्व भारत में किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय कक्षा IX परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
10.3 नया नियम	10.3 सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना निम्नानुसार होगी :– i) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और कक्षा X के उन विद्यालयों से सी.बी.एस.ई. प्रणाली से बाहर जाने का इरादा न हो के लिए वर्ष 2011 से माध्यमिक (कक्षा X) स्तर पर कोई बोर्ड परीक्षा नही होगी; ii) कक्षा X के बाद (प्री–विष्वविद्यालय, व्यावसायिक कोर्स/बोर्ड को बदलना इत्यादि) सी.बी.एस.ई. प्रणाली से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को माध्यमिक (कक्षा X) स्तर पर बोर्ड की बाह्य परीक्षा देनी होगी; iii) माध्यमिक स्तर तक के बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड द्वारा आयोजित बाह्य परीक्षा में बैठना होगा, क्योंकि उन्हें कक्षा X के बाद विद्यालय छोड़ना होगा। उपर्युक्त में परिभाषित अनुसार परीक्षा में बैठने वाले ऐसे परीक्षार्थियों/विद्यालयों के संबंध में उपर्युक्त व्यवस्था बोर्ड द्वारा आवाधिक जांच की शर्त पर होगी।

4	परीक्षाओं में प्रवेष	11	नियमित परीक्षार्थी–परिभाषा
11. परिभाषाः– नियमित परीक्षार्थी इस अध्याय और अध्याय 5 में निहित उप–विधियों के प्रयोजनों के लिए जब तक विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो तब तक एक ''नियमित विद्यार्थी'' का अर्थ किसी विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी से है किसी विद्यालय में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और बोर्ड की अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र/माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रवेष लेना चाहता हो। 0;k[;k जिस विद्यार्थी का नाम बोर्ड की परीक्षा में प्रवेष के लिए नाम/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय की नामावली से काट दिया गया है, वह नियमित विद्यार्थी नही रहेगा और ऐसा विद्यार्थी परीक्षा में प्रवेष के लिए अथवा परीक्षा में बैठने का पात्र नही होगा।		11. परिभाषाः– नियमित परीक्षार्थी इस अध्याय और अध्याय 5 में निहित उप–विधियों के प्रयोजनों के लिए जब तक विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो तब तक एक ''नियमित विद्यार्थी'' का अर्थ किसी विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी से है जिसने किसी विद्यालय में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और बोर्ड की अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र/माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रवेष लेना चाहता हो। व्याख्या जिस विद्यार्थी का नाम बोर्ड/बोर्ड के संबद्धता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेष परीक्षाओं में प्रवेष के लिए नाम/आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय की नामावली से काट दिया गया है, वह नियमित विद्यार्थी नही रहेगा और ऐसा विद्यार्थी बोर्ड/विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवेष के लिए पात्र नही होगा।

4	परीक्षाओं में प्रवेष	13.2	आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की अपेक्षा
13.2(i)(क) बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय को कोई विद्यार्थी परीक्षा देने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसने 75 प्रतिषत उपस्थिति की शर्त पूरी न की हो। इसकी गणना कक्षा IX/X/XI/XII के शुरू होने से लेकर उस माह, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन के विषय में परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती		13.2(i)(क) बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय का कोई विद्यार्थी बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा देने के लिए तब तक पात्र नही होगा जब तक उसने 75 प्रतिषत उपस्थिति की शर्त पूरी न की हो। इसकी गणना कक्षा XII से शुरू होने से लेकर उस माह जिसमें	

माह की पहली तारीख तक की जाएगी।	आंतरिक मूल्यांकन के विषय में परीक्षा शुरू होती है, के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक की जाएगी।
13.2(i)(ख) नया नियम	13.2(i)(ख) बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय का कोई विद्यार्थी बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाएं देने के लिए तब तक पात्र नही होगा, जब तक उसने मान्यता प्राप्त संघों/सी.बी.एस.ई./एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में 60% उपस्थिति की शर्त पूरी न की हो। इसकी गणना कक्षा XII के शुरू होने से लेकर उस माह जिसमें आतंरिक मूल्यांकन के विषय में परीक्षा शुरू होती है के पूर्ववर्ती माह की पहली तारीख तक की जाएगी।
(ii) परीक्षार्थी को कार्य अनुभव (डब्ल्यू.ई)/कला षिक्षा/षारीरिक एवं स्वास्थ्य षिक्षा (पी.एच.ई.) से छूट चिकित्सा आधार पर दी जा सकती है बषर्ते कि आवेदनपत्र के साथ कम से कम सहायक सर्जन के रैंक के किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र संलग्न हो और विद्यालय–प्रमुख द्वारा की गई सिफारिष सहित प्रेषित किया गया हो।	(ii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय परीक्षार्थियों के संबंध में किसी परीक्षार्थी को चिकित्सा आधार पर कार्यानुभाव/कला षिक्षा/षारीरिक एवं स्वास्थ्य षिक्षा/षैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों का अध्ययन करने से छूट दी जा सकती है बषर्ते कि आवेदन पत्र के साथ कम से कम सहायक सर्जन के रैंक के किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र सिफारिष सहित प्रेषित किया गया हो।
(iii) अध्यक्ष को आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की कमी को माफ करने का अधिकार होगा।	(iii) बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा के संबंध में आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की कमी को माफ करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

4.	परीक्षा में प्रवेष	14.	उपस्थिति में कमी के लिए माफी के नियम
14(i) अगर किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति निर्धारित प्रतिषत से कम हो जाती है तो विद्यालय प्रमुख उसका नाम अंतरिम रूप में बोर्ड को प्रस्तुत कर सकता है। अगर परीक्षार्थी की उपस्थिति परीक्षा आरम्भ होने के तीन सप्ताहों के भीतर अपेक्षित प्रतिषत से फिर भी कम होती है तो विद्यालय प्रमुख मामले की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को तत्काल देगा। अगर संस्था के प्रमुख की राय में परीक्षार्थी पर विषेष विचार किया जा सकता है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अध्यक्ष सी. बी.एस.ई. द्वारा अपनी माफी देने के लिए सिफारिष प्रस्तुत कर सकता है यदि वह उचित समझे तो इस संबंध में आदेष जारी कर सकता है। उपस्थिति में कमी की माफी के लिए अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रमुख को अपने पत्र में किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक सत्र की अधिकतम संभव उपस्थिति कक्षा IX/XII (सत्र का प्रारंभ) होने के दिन से उस महीने से पहले जिसमें बोर्ड परीक्षा शुरू करता है, के महीने की पहली तारीख तक का ब्यौरा देना चाहिए। इस के साथ ही पूर्वोक्त अवधि के दौरान संबंधित विद्यार्थी की उपस्थिति तथा उस पूर्वोक्त अवधि के दौरान ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति की प्रतिषतता का ब्यौरा भी देना चाहिए।	14(i) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मामले में अगर किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति निर्धारित प्रतिषत से कम हो जाती है तो विद्यालय प्रमुख उसका नाम अंतरिम रूप में बोर्ड को प्रस्तुत कर सकता है। अगर परीक्षार्थी की उपस्थिति परीक्षा आरम्भ होने के तीन सप्ताहों के भीतर अपेक्षित प्रतिषत से फिर भी कम होती है तो विद्यालय प्रमुख मामले की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को तत्काल देगा। अगर संस्था के प्रमुख की राय में परीक्षार्थी पर विषेष विचार किया जा सकता है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को अध्यक्ष सी.बी.एस.ई. द्वारा अपनी माफी देने के लिए सिफारिष प्रस्तुत कर सकता है यदि वह उचित समझे तो इस संबंध में आदेष जारी कर सकता है। उपस्थिति में कमी की माफी के लिए अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रमुख को अपने पत्र में किसी विद्यार्थी की शैक्षणिक सत्र की अधिकतम संभव उपस्थिति कक्षा IX/XII (सत्र का प्रारंभ) होने के दिन से उस महीने से पहले जिसमें बोर्ड परीक्षा शुरू करता है, के महीने की पहली तारीख तक का ब्यौरा देना चाहिए। इस के साथ ही पूर्वोक्त अवधि के दौरान संबंधित विद्यार्थी की उपस्थिति तथा उस पूर्वोक्त अवधि के दौरान ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति की प्रतिषतता का ब्यौरा भी देना चाहिए।
(ii) अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति में केवल 15% तक की कमी में छूट (माफी) दी		(ii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में	

जा सकती है। X अथवा XII कक्षा, जैसा भी मामला हो, में 60% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के मामलों पर उपस्थिति में कमी की छूट (माफी) पर केवल अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा आधार पर विषेष परिस्थितियों जैसे की गंभीर लम्बी बीमारी से ग्रसित हो जैसे कैंसर, एड्स, टी.बी. अथवा इसी प्रकार की गंभीर लम्बी बीमारी जिसके लिए दीर्घ अवधि तक अस्पताल में रहना अपेक्षित हो पर विचार किया जा सकता है।	शमिल होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति में केवल 15% तक की छूट दी जा सकती है। बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कक्षा X अथवा XII जैसा भी मामला हो में 60% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के मामलों पर उपस्थिति में कमी की छूट (माफी) पर केवल अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा आधार पर विषेष परिस्थितियों जैसे कि गंभीर लम्बी बीमारी से ग्रसित हो, जैसे कैंसर, एड्स, टी.बी. अथवा इसी प्रकार की गंभीर लम्बी बीमारी जिसके लिए दीर्घ अवधि तक अस्पताल में रहना अपेक्षित हो पर विचार किया जा सकता है।
(iii) प्रधानाचार्य उपस्थिति में कमी के मामले को बोर्ड के पास माफी की उपर्युक्त निर्धारित सीमा के भीतर या तो सिफारिष भेजेगा या मामले की सिफारिष न करने पर वैध कारण भेजेगा।	(iii) कोई परिवर्तन नही
(iv) निर्धारित प्रतिषतता से कम उपस्थिति वाले अभ्यर्थियों के मामलों की सिफारिष करने के लिए निम्नलिखित को वैध कारण माना जा सकता है :– (क) लंबी बीमारी; (ख) पिता/माता की मृत्यु अथवा विद्यालय से उसकी अनुपस्थिति का कारण बनने वाली विषेष विचारणीय ऐसी कोई अन्य घटना; और (ग) ऐसी ही गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण (घ) कम से कम अंतर–विद्यालय स्तर के प्रायोजित टूर्नामेन्ट तथा खेलकूद प्रतियोगिता तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस. षिविरों में प्राधिकृत भागीदारी और ऐसी	(iv) कोई परिवर्तन नही

भागीदारी के लिए यात्रा के दिनों को पूर्ण उपस्थिति के रूप में गिना जाएगा। (ड़) मान्यताप्राप्त संघों/सी.बी.एस.ई./एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्राधिकृत भागीदारी।	

4	परीक्षाओं में प्रवेष	17	दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र (कक्षा XII) परीक्षा में प्राईवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति
17(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, वह अगली परीक्षा में उस वर्ष की परीक्षा के निर्धारित पाठ्यविवरण और पाठ्य–पुस्तकों के अंतर्गत एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में दुबारा बैठ सकने का पात्र होगा।		17(i) कोई परिवर्तन नही	
(ii) निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी भी इन उपविधियों में निर्धारित शर्तों पर बोर्ड की दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र होंगे :– (क) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत षिक्षक, जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। षिक्षक–विद्यार्थी जिस विद्यालय में सेवारत है उसके प्रधानाचार्य के प्रमाणपत्र सहित अपना आवेदन पत्र बोर्ड के उस क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें वह षिक्षक काम करता है। प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के षिक्षा निदेषक द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित हो। (ख) जो महिला परीक्षार्थी राष्ट्रीय		(ii) निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी भी इन उपविधियों में निर्धारित शर्तों पर बोर्ड की दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र होंगे :– (क) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत षिक्षक, जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है/परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है। षिक्षक–परीक्षार्थी अपना आवेदन उस विद्यालय जिसमें यह कार्यरत है के प्रधानाचार्य के प्रमाण पत्र सहित क्षेत्रीय अधिकारी, दिल्ली को प्रस्तुत करेगा। प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र षिक्षा निदेषक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।	

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की वास्तविक निवासी है और उपविधि 17(iii) में उल्लिखित शर्तों के अधीन वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व दिल्ली माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी है, और	(ख) जो महिला परीक्षार्थी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की वास्तविक निवासी है और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अधीन शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में और सह–षैक्षिक क्षेत्रों में ग्रेड, अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र क के अधीन कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड प्राप्त हो अथवा नियम 17(iii) में उल्लिखित शर्तों के अधीन वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; और
(ग) अध्ययन के प्रयोजन के लिए सामान्य संस्थानों में अध्ययन न कर सकने का उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी, जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने से कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक विद्यालय अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।	(ग) अध्ययन के प्रयोजन के लिए सामान्य संस्थाओं में अध्ययन न कर सकने का उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में शामिल होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित कोई समकक्ष वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन योजना के अधीन शैक्षिक क्षेत्रों में ग्रेड, अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम 'डी' ग्रेड प्राप्त किया हो ।

4	परीक्षाओं में प्रवेष	18	दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र (कक्षा XII) परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति
(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, वह अगली परीक्षा में उस वर्ष की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यविवरण और पाठ्य–पुस्तकों के अंतर्गत एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में दुबारा बैठ सकने का पात्र होगा। (ii) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत षिक्षक, जिन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। षिक्षक विद्यार्थी जिस विद्यालय में सेवारत है उस के प्रधानाचार्य के प्रमाणपत्र सहित जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के षिक्षा निदेषक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो अपना आवेदन– पत्र बोर्ड के उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें षिक्षक सेवारत है।	(i) कोई परिवर्तन नही (ii) बोर्ड से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में सेवारत, षिक्षक, जिन्होंने विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के कम से कम दो वर्ष पूर्व अथवा समकक्ष परीक्षा में अर्हता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। षिक्षक परीक्षार्थी अपना आवेदन उस विद्यालय जिसमें वे कार्यरत हैं के प्रधानाचार्य के प्रमाणपत्र सहित के संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र जिसमें षिक्षक सेवारत है के षिक्षा निदेषक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेंगे जिसमें विद्यालय स्थित है।		

4	परीक्षाओं में प्रवेष	20	दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति
20(i) जो परीक्षार्थी बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में उनुत्तीर्ण हो गये थे।		(i) जो परीक्षार्थी बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे थे।	

4	परीक्षाओं में प्रवेष	21	अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के पात्र व्यक्ति
21(i) जो परीक्षार्थी बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये थे;		जो परीक्षार्थी बोर्ड की अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने मे असफल रहे थे;	

4	परीक्षाओं में प्रवेष	22	अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
22(vii)(क) उपविधि 20 के अधीन महिला प्राइवेट परीक्षार्थियों को प्रायोगिक कार्य सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय लेने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक उसने बोर्ड से संबद्ध किसी संस्थान में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा न किया हो और बोर्ड की संतुष्टि के लिए इस आषय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया हो। तथापि, इस शर्त के होते हुए भी वे ऐसे प्रमाणपत्र के बिना प्रायोगिक कार्य सहित गृह विज्ञान विषय ले सकती है। (vii)(ख) नया नियम		22(vii)(क) उपविधि 20 के अधीन महिला प्राइवेट परीक्षार्थियों को प्रायोगिक कार्य सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय लेने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक उसने बोर्ड से संबद्ध किसी संस्थान में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा न किया हो और बोर्ड की संतुष्टि के लिए इस आषय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया हो। तथापि, इस शर्त के होते हुए भी वे ऐसे प्रमाणपत्र के बिना प्रायोगिक कार्य सहित गृह विज्ञान विषय ले सकती है। (vii)(ख) नियम 20 के तहत महिला प्राइवेट परीक्षार्थी को बोर्ड से संबद्ध संस्थान से बाह्य मूल्यांकन के लिए एक नियमित पाठ्यक्रम में पेष करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना गणित और सामाजिक विज्ञान विषय दिये जा सकते हैं।	

5	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि, शुल्क के स्केल और वापसी	28	नियमित विद्यार्थियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की विधि
(i) बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म में अपना आवेदन भरकर विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्रमुख से अग्रेषित करेगा।		(i) बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं के लिए एक विद्यार्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित अपने आवेदन पत्र अपने	

	विद्यालय के प्रमुख के माध्यम से भेजना होगा।
(ii) सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन पत्र (परीक्षार्थियों की संयुक्त सूची) और विद्यालय प्रमुख के लिए प्रमाण–पत्रों सहित; जहॉ कहीं अपेक्षित हो, अपने क्षेत्रीय अधिकारी को भेजेगा।	(ii) सभी तरह के पूर्ण आवेदन पत्र (परीक्षार्थियों की संयुक्त सूची) और विद्यालय प्रमुख के प्रमाण पत्रों सहित जहां कहीं अपेक्षित हों, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएंगे।
(iii) आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के पास निर्धारित तारीख के भीतर पहुॅच जाना चाहिए।	(iii) आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास निर्धारित तारीख के भीतर पहुॅच जाना चाहिए।
(iv) आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ होगा (देखें संलग्नक 11)।	(iv) कोई परिवर्तन नहीं।
(v) निर्धारित मानकों के अनुसार अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ भी फार्म स्वीकृत किया जा सकता है।	(v) कोई परिवर्तन नही।

6	परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों की नियुक्ति और अनुचित साधन मामलों के लिए नियम	36.3	अनुचित साधन के मामलों के लिए नियम–दण्ड देना
36.3(vi) उन परीक्षार्थियों के नाम जो उपर्युक्त किसी भी नियम के अधीन सजा पाते है, उन विष्वद्यिालयों, बोर्डों और अन्य संगठनों को जो माध्यमिक विद्यालय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा, इंटरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा संचालित करते हैं और विभिन्न राज्य सरकारों तथा साथ ही देष में विभिन्न लोक सेवा आयोगों को सूचित किए जाएंगे।		36.3(vi) उन परीक्षार्थियों के नाम जो उपर्युक्त किसी भी नियम के अधीन सजा पाते है, बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सभी विद्यालयों, विष्वविद्यालयों, बोर्डों और अन्य संगठनों को जो माध्यमिक विद्यालय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा, इंटरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा संचालित करते हैं और विभिन्न राज्य सरकारों तथा साथ ही देष में विभिन्न लोक सेवा आयोगों को सूचित किए जाएंगे।	

7	परीक्षाओं की योजना और उत्तीर्णता मानदंड	37	परीक्षाओं की योजना–सामान्य शर्तें
37.(i) बोर्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र और अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं की योजना और		37.(i) कोई परिवर्तन नही	

उत्तीर्णता मानदंड समय–समय पर यथानिर्धारित किए जाएँगे।	
(ii) कक्षा XI/IX परीक्षाएँ स्वयं विद्यालयों द्वारा आंतरिक रूप से संचालित की जाएगी।	(ii) कक्षा XI परीक्षा स्वयं विद्यालयों द्वारा संचालित की जायेगी। कक्षा IX परीक्षा भी बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार विद्यालयों द्वारा संचालित की जाएगी।
(iii) बोर्ड बाहरी परीक्षाएँ XII/X कक्षा के अंत में संचालित करेगा।	(iii) बोर्ड बाहरी परीक्षाएं कक्षा XII के अन्त में संचालित करेगा। माध्यमिक स्तर तक बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले और वरिष्ठ स्तर तक बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कक्षा X में पढ़ने वाले किन्तु विभिन्न कारणों से सी.बी.एस.ई. प्रणाली से बाहर जाने का इरादा हो उन विद्यार्थियों के संबंध में बोर्ड बाह्य परीक्षा कक्षा X के अन्त में भी संचालित करेगा।
(iv) कक्षा XII/X की परीक्षाएँ क्रमषः समय–समय पर कक्षा XII/X के लिए बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित पाठ्य विवरणों पर आधारित होंगी।	(iv) कोई परिवर्तन नही।
(v) प्रष्नपत्रों की संख्या, परीक्षा की अवधि और प्रत्येक विषय/प्रष्न पत्र के अंक वर्ष की पाठ्यचर्या में यथानिर्धारित किए जाएंगे।	(v) कोई परिवर्तन नही।
(vi) परीक्षा, विषय(यों) के स्वरूप के अनुसार सैद्धान्तिक और प्रायोगिक रूप में होगी और अंक/श्रेणियों (ग्रेड) का आबंटन पाठ्यचर्या के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।	(vi) कोई परिवर्तन नही।
(vii) प्रत्येक विषय के लिए अंक/श्रेणियॉ प्रदान की जाएंगी और कुंल अंक नहीं दिए जाएँगे।	(vii) कोई परिवर्तन नही।

7	परीक्षाओं की योजना और उत्तीर्णता मानदण्ड	38	परीक्षाओं की योजना श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा
38.(i) बाह्य विषयों में सैद्धान्तिक/प्रायोगिक प्रष्नपत्रों का निर्धारण संख्यात्मक अंकों में किया जाएगा। बाह्य परीक्षाओं के विषयों में संख्यात्मक अंक के अलावा बोर्ड, परीक्षार्थियों को जारी अंक विवरणिकाओं में श्रेणियां भी निर्दिष्ट करेगा। आंतरिक मूल्यांकन विषयों के मामले में केवल श्रेणियां दर्षाई जाएंगी।		38.(i) बाह्य विषयों में सैद्धान्तिक/प्रायोगिक प्रष्नपत्रों का निर्धारण संख्यात्मक अंकों में किया जाएगा। बाह्य परीक्षाओं के विषयों में संख्यात्मक अंक के अलावा बोर्ड, परीक्षार्थियों को जारी अंक विवरणिकाओं में श्रेणियां भी निर्दिष्ट करेगा। आंतरिक मूल्यांकन विषयों के मामले में केवल श्रेणियॉ दर्षाई जाएंगी।	
(ii) बोर्ड की बाह्य परीक्षा के विषयों में नौ बिन्दु पैमाने पर अक्षर श्रेणी (ग्रेड) का प्रयोग किया जाएगा। तथापि कक्षा X की आंतरिक परीक्षा के विषयों का मूल्यांकन पांच बिन्दु पैमाने अर्थात ए,बी,सी,डी,ई, पर किया जाएगा।		(ii) बोर्ड की बाह्य परीक्षा के विषयों में नौ बिन्दु पैमाने पर अक्षर श्रेणी (ग्रेड) का प्रयोग किया जाएगा।	
(iii) बाह्य परीक्षा के विषयों के मामले में श्रेणियों अंकों से प्राप्त की जाएंगी। आंतरिक मूल्यांकन के विषयों के मामले में उन्हें श्रेणियाँ विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाएँगी।		(iii) कोई परिवर्तन नही।	
(iv) माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षाओं में बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय के अर्हक अंक 33% होंगे। वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के उन विषयों में जिनमें प्रेक्टिकल भी शामिल होता है, में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक और प्रेक्टिकल दोनों में अलग–अलग 33% अंक प्राप्त होने के साथ–साथ कुल अंक भी 33% होने चाहिए।		(iv) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षाओं में बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय के अर्हक अंक 33% होंगे। वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के उन विषयों में जिनमें प्रेक्टिकल भी शामिल होता है, में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक और प्रेक्टिकल दोनों में अलग–अलग 33% अंक प्राप्त होने के साथ–साथ कुल अंक भी 33% होने चाहिए।	
(v) श्रेणियाँ देने के लिए बोर्ड सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक क्रम में रखेगा और श्रेणियाँ इस प्रकार दी		(v) श्रेणियाँ देने के लिए बोर्ड सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एक क्रम में रखेगा और श्रेणियाँ इस प्रकार दी जाएँगी :–	

जाएँगी :– ए–1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग ए–2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग बी–1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग बी–2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग सी–1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग सी–2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग डी–1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग डी–2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग ई– अनुत्तीर्ण विद्यार्थी टिप्पणी : (क) बराबरी में समायोजन लाने के लिए विद्यार्थियों के अनुपात में थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। (ख) बराबरी की स्थिति में, समान अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को एक ही श्रेणी (ग्रेड) दी जाएगी। यदि एक अंक बिन्दु पर विद्यार्थियों की संख्या को दो खंडों में विभाजित किया जाना जरूरी हो तो छोटे खंड को बड़े के साथ सम्मिलित किया जाएगा। (ग) जिस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है उन विषयों में श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। उन विषयों के संबंध में, जहां किसी विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 500 से कम है, वहाँ श्रेणीकरण के अन्य विषयों में अपनाई जा रही श्रेणीकरण पद्धति के आधार पर अंकों का श्रेणीकरण और वितरण किया	ए–1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग ए–2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के इसके अगले क्रम में 1/8 वां भाग बी–1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग बी–2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग सी–1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग सी–2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग डी–1 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग डी–2 उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के सर्वोच्चतम क्रम में 1/8 वां भाग ई– अनुत्तीर्ण विद्यार्थी टिप्पणी : (क) बराबरी में समायोजन लाने के लिए विद्यार्थियों के अनुपात में थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। (ख) बराबरी की स्थिति में, समान अंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को एक ही श्रेणी (ग्रेड) दी जाएगी। यदि एक अंक बिन्दु पर विद्यार्थियों की संख्या को दो खंडों में विभाजित किया जाना जरूरी हो तो छोटे खंड को बड़े के साथ सम्मिलित किया जाएगा। (ग) जिस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है उन विषयों में श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। उन विषयों के संबंध में, जहां किसी विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 500 से कम है, वहाँ श्रेणीकरण के अन्य विषयों में अपनाई जा रही श्रेणीकरण पद्धति के आधार पर अंकों का श्रेणीकरण और वितरण किया जाएगा।

<table>
<tr>
<td>जाएगा।
38(क) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (नया नियम)</td>
<td>38(क) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (नया नियम)
(i) बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन विषयों का निर्धारण संख्यात्मक अंकों में किया जाएगा जिन्हें एक नौ बिन्दु स्केल के आधार पर ग्रेडों में रूपान्तरित किया जाएगा और उन्हें विद्यालय आधारित निर्धारण के प्रमाणपत्र/विषयवार निष्पादन के विवरण में दर्षाया जाएगा।
(ii) अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में निर्धारण भी ग्रेडों में होगा।
(iii) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन विषयों में छात्रों का निर्धारण पारम्परिक संख्यात्मक अंकनविधि का प्रयोग करते हुए किया जाएगा और बाद में उसे ग्रेडों में रूपान्तरित किया जाएगा और उन्हें इस प्रकार प्रदान किया जाएगा :–
<table>
<tr><th>अंकों की श्रेणी</th><th>ग्रेड</th><th>ग्रेड बिन्दु</th></tr>
<tr><td>91–100</td><td>ए1</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>81–90</td><td>ए2</td><td>9.0</td></tr>
<tr><td>71–80</td><td>बी1</td><td>8.0</td></tr>
<tr><td>61–70</td><td>बी2</td><td>7.0</td></tr>
<tr><td>51–60</td><td>सी1</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td>41–50</td><td>सी2</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td>33–40</td><td>डी</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>21–32</td><td>ई1</td><td>– – –</td></tr>
<tr><td>20 और कम</td><td>ई2</td><td>– – –</td></tr>
</table>
संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सी.जी.पी.ए.) विषयवार निष्पादन के विवरण में भी दर्षाए जाएंगे।
टिप्पणी :
संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सी.जी.पी.ए.) अध्ययन की योजना के अनुसार छठे</td>
</tr>
</table>

	अतिरिक्त विषय को छोड़कर सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड बिन्दुओं का औसत है। अंकों की विषयवार और समग्र निर्देषात्मक प्रतिषतता निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती है :– अंकों की विषयवार निर्देषात्मक प्रतिषतता=9.5X विषय का ग्रेड बिन्दु (जीपी) अंकों की समग्र निर्देषात्मक प्रतिषतता= 9.5 X सी.जी.पी.ए.

7	परीक्षाओं की योजना तथा उत्तीर्णता मानदण्ड	39	उत्कृष्टता प्रमाणपत्र
(i)(क) बोर्ड प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में से सर्वोच्च 0.1 प्रतिषत को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा बषर्ते कि उन्होंने बोर्ड के उत्तीर्णता–मानदंड के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (i)(ख) नया नियम (ii) किसी विषय में उत्कृष्टता प्रमाणपत्रों की संख्या का निर्धारण हजार की निकटतम बहुल संख्या तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के पूर्णांक द्वारा किया जाएगा। यदि एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 500 से कम है तो कोई उत्कृष्टता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। (iii) बराबर होने की स्थिति में, यदि एक परीक्षार्थी उत्कृष्टता–प्रमाणपत्र प्राप्त करता है तो वही अंक पाने वाले सभी परीक्षार्थियों को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र दिया जाएगा।		(i)(क) बोर्ड प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में से सर्वोच्च 0.1 प्रतिषत को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा बषर्ते कि उन्होंने वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बोर्ड के उत्तीर्णता मानदंड के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (i)(ख) बोर्ड ऐसे परीक्षार्थियों को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा जिन्होंने अर्हक मानदंड के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में श्रेणी (ग्रेड) ए1 प्राप्त की हो। (ii) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए किसी विषय में उत्कृष्टता प्रमाणपत्रों की संख्या का निर्धारण हजार की निकटतम बहुल संख्या तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के पूर्णांक द्वारा किया जाएगा। यदि एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 500 से कम है तो कोई उत्कृष्टता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा । (iii) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में बराबर होने की स्थिति में, यदि एक परीक्षार्थी उत्कृष्टता–प्रमाणपत्र प्राप्त करता है तो वही अंक पाने वाले सभी परीक्षार्थियों को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

7	परीक्षाओं की योजना तथा उत्तीर्णता मानदंड	41	परीक्षाओं (माध्यमिक विद्यालय परीक्षा) की योजना
41(i) निम्नलिखित विषयों का मूल्यांकन स्वंय विद्यालयों द्वारा पांच बिन्दु पैमाने पर (अर्थात् ए, बी, सी, डी तथा ई) श्रेणियों (ग्रेडों) के अनुसार किया जाएगा। – कार्यानुभव – कला षिक्षा – शारीरिक एवं स्वास्थ्य षिक्षा		41(i) सह–षैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में मूल्यांकन अध्ययन की योजना के अनुसार श्रेणियों (ग्रेड) के रूप में विद्यालयों द्वारा किया जाएगा।	
(ii) आंतरिक मूल्यांकन के विषयों का मूल्यांकन विद्यालय में उसके सतत् निर्धारण के दौरान विद्यार्थी के संचयी रिकार्ड पर अधारित होगा।		(ii) शैक्षिक क्षेत्र 'ख' तथा सह–षैक्षिक क्षेत्रों के अधीन विषयों के लिए मूल्यांकन विद्यालय में उसके सतत निर्धारण के दौरान विद्यार्थी के संचयी रिकार्ड पर आधारित होगा।	
(iii) विद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थी की उपलब्धियों एवं प्रगति का नियमित अभिलेख रखें। जब बोर्ड उचित समझे, इन अभिलेखों की संवीक्षा कर सकता है।		(iii) कोई परिवर्तन नही।	
(iv) उपखंड (i) के अधीन उल्लेख न किए गए अध्ययन के शेष विषयों की बोर्ड द्वारा बाह्य रूप में परीक्षा ली जाएगी। प्रष्नपत्रों, अंकों एवं अवधि के ब्यौरे परीक्षा की योजना के अनुसार होंगे।		(iv) षैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन अध्ययन के विषयों का निर्धारण संयुक्त रूप से विद्यालय तथा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। प्रष्न पत्रों, अंकों एवं अवधि के ब्यौरे परीक्षा की योजना के अनुसार होंगे।	
(v) सभी संबद्ध संस्थानों के प्रमुखों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दस वर्ष तक अध्ययन पूरा करने वाले विद्यार्थियों को ''विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रमाणपत्र'' जारी करें जिसमें सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित अधिगम के सह–संज्ञानात्मक तथा अन्य संबद्ध विषयक्षेत्रों को शामिल किया गया हो।		(v) विलोप क्योंकि विद्यालयों को यह प्रमाणपत्र विद्यार्थियों को देना अपेक्षित नही होगा।	

7	परीक्षाओं की योजना तथा उत्तीर्ण मानदंड	41.1	अर्हक मानदंड (माध्यमिक विद्यालय परीक्षा)
(i) जब तक इस संबंध में छूट नहीं दी जाती तब तक विद्यार्थी द्वारा आतंरिक निर्धारण के सभी विषयों में 'ई' से उच्च श्रेणी प्राप्त करने पर उसे बोर्ड का उत्तीर्णता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ऐसा न होने पर बाह्य परीक्षा का परिणाम रोक दिया जाएगा किन्तु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।		(i) ऐसा विद्यार्थी अर्हक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि वह मुख्य अथवा निष्पादन के सुधार के उत्तरवर्ती पांच/एक प्रयास (प्रयासों) में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करता/करती है, जैसा भी मामला हो, और अध्ययन की योजना में निर्दिष्ट अनुसार सह–षैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त करता/करती है।	
(ii) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए किसी विद्यार्थी को मुख्य अथवा पूरक परीक्षाओं की बाह्य परीक्षा के सभी विषयों में 'ई' (अर्थात कम से कम 33 प्रतिषत अंक) से उच्च श्रेणी प्राप्त करनी होगी। बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33 प्रतिषत होंगे।		(ii) उपर्युक्त (i) को ध्यान में रखते हुए विलोप ।	
(iii) कोई सम्पूर्ण श्रेणी/विषेष योग्यता/कुल योग नहीं दिया जाएगा।		(ii) कोई भी समग्र ग्रेड प्रदान नही किया जाएगा। तथापि, संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सी.जी.पी.ए.) विषयवार निष्पादन के विवरण में दर्षाया जाएगा। अंकों की विषयवार और समग्र निर्देषात्मक प्रतिषतता ग्रेड बिन्दु/संचयी ग्रेड बिन्दु औसत के आधार पर निकाली जा सकती है।	
(iv) अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे :– (क) यदि विद्यार्थी जिसने भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में ली है और वह एक भाषा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त भाषा उस		(iii) कोई परिवर्तन नही।	

(अनुत्तीर्ण) भाषा को बदल सकती है बषर्ते की बदलने के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी/हिन्दी में से एक भाषा हो; और (ख) एक विषय से दूसरे में परिवर्तन के लिए अध्ययन की योजना में यथानिर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।	
(v) आंतरिक परीक्षा के एक या एक से अधिक विषयों में छूट प्राप्त वाले विद्यार्थी बाह्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे और उनके परिणाम घोषित किये जायेंगे बषर्ते वे उत्तीर्णता मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हों।	(iv) सह–षैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन एक अथवा अधिक विषयों में छूट प्राप्त विद्यार्थी रचनात्मक और योगात्मक निर्धारण में शामिल होने के पात्र होंगे और परिणाम की घोषणा अर्हक मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर की जाएगी।
(vi) कक्षा IX परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी विद्यार्थी को सभी विषयों में 33 प्रतिषत अंक लेने होंगे। परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्णता अंक 33 प्रतिषत होंगे।	(v) कक्षा IX परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने का पात्र होने के लिए किसी विद्यार्थी को मुख्य अथवा निष्पादन में सुधार के उत्तरवर्ती प्रयास में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' तथा शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त करनी होगी जैसाकि अध्ययन की योजना में निर्दिष्ट है।

7	परीक्षाओं की योजना तथा उत्तीर्णता मानदंड	41.2	माध्यमिक परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए पात्रता
41.2 माध्यमिक परीक्षा में पूरक परीक्षा के लिए पात्रता :– यदि कोई परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा में पांच विषयों में से दो विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उन विषयों की पूरक (कम्पार्टमेन्ट) परीक्षा देनी होगी बषर्ते कि वह आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो।		41.2 बोर्ड तथा विद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से पांच किए जाने पर अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन किसी अथवा सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड ई1 अथवा ई2 प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी किसी अथवा सभी पांच विषयों में निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होंगे।	

7	परीक्षाओं की योजना तथा उत्तीर्णता मानदंड	42	माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए पूरक परीक्षा/ निष्पादन में सुधार
42(i)(क) यदि किसी परीक्षार्थी का परिणाम पूरक है तो वह जुलाई/अगस्त में होने वाली पूरक परीक्षा में बैठ सकता है और उसे अगले वर्ष मार्च/अप्रैल में इसका दूसरा अवसर और उस वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित पूरक परीक्षा में तीसरा अवसर भी प्राप्त होगा। परीक्षार्थी को इस परीक्षा में उत्तीर्ण तब घोषित किया जाएगा जब उसने पूरक परीक्षा में वह विषय/वे विषय उत्तीर्ण कर लिया/लिए हों जिसमें/जिनमें वह पहले अनुत्तीर्ण हुआ था/थी।		42(i)(क) यदि किसी परीक्षार्थी का वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में पूरक परिणाम आता है तो वह उस वर्ष जुलाई में पुनः बैठ सकता है और वह अगले वर्ष मार्च/अप्रैल में दूसरा तथा जुलाई में तीसरा अवसर ले सकता/सकती है। इसके अलावा उत्तरवर्ती वर्ष में मार्च/अप्रैल में चौथा अवसर तथा जुलाई में पांचवें अवसर का उपयोग कर सकता/सकती है। परीक्षार्थी को उत्तीर्ण तब घोषित किया जाएगा जब वह पूरक वाले विषयों में अर्हता प्राप्त नही कर लेता/लेती जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ था/हुई थी। पाठ्यक्रम एवं कोर्स वही रहेगा जो संबंधित वर्ष में परीक्षा में शामिल होने वाले पूरे विषयों के परीक्षार्थियों के लिए लागू है।	
42(i)(ख) नया नियम		42(i)(ख) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ हो और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत किसी अथवा सभी विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड ई1 अथवा ई2 प्राप्त की हो, किसी अथवा सभी पांच विषयों में अपने निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होगा और बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में अनुवर्त्ती प्रयासों में शामिल हो सकता/सकती है। परीक्षार्थी को विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाणपत्र/विषयवार निष्पादन का विवरण जारी किया जाएगा बषर्ते कि वह अध्ययन की योजना के अनुसार कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड 'डी' और सह–षैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के तहत विषयों में ग्रेड प्राप्त करें।	

42(i)(ग) नया नियम	42(i)(ग) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ हो और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत किसी अथवा सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ई1 अथवा ई2 ग्रेड प्राप्त की हो, किसी अथवा सभी विषयों में अपने निष्पादन में सुधार के लिए पात्र है और बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में केवल प्रयास में शामिल हो सकता है। परीक्षार्थी को विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा बषर्ते अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड 'डी' और सह–षैक्षिक क्षेत्रों तथा शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के तहत विषयों में ग्रेड प्राप्त कर लेता/लेती है।
(ii)(क) यदि कोई विद्यार्थी एक अथावा सभी पूरक परीक्षाओं में नही बैठता या अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा तथा उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य–विवरण तथा पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड की आगामी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी के प्रायोगिक अंक/आंतरिक निर्धारण अंक पांचवा अवसर पूरक परीक्षा तक आगे ले जाए जाएगें। प्रायोगिक–परीक्षा वाले विषयों में विद्यार्थियों के लिए यह विकल्प रहेगा कि वे प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में पुनः बैठे अथवा पूरक परीक्षा के लिए पांचवे अवसर के बाद एक अन्य वार्षिक	(ii)(क) ऐसा परीक्षार्थी जो वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में पूरक के एक अथवा सभी–अवसरों में असफल रहता है अथवा शामिल होने में असफल रहता है तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा तथा उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य–विवरण तथा पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड की आगामी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी के प्रायोगिक अंक/आंतरिक निर्धारण अंक पांचवा अवसर पूरक परीक्षा तक आगे ले जाए जाएगें। प्रायोगिक–परीक्षा वाले विषयों में विद्यार्थियों के लिए यह विकल्प रहेगा कि वे प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में पुनः बैठे अथवा पूरक परीक्षा के लिए पांचवे अवसर के बाद एक अन्य वार्षिक परीक्षा में अपने पिछले

परीक्षा में अपने पिछले अंक यथावत् रखें।	अंक यथावत् रखें।
(ii)(ख) नया नियम	(ii)(ख) ऐसा परीक्षार्थी जो माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में निष्पादन में सुधार के एक अथवा सभी अवसरों में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड ही प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे परीक्षा में अर्हक नही माना जाएगा और परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए संबंधित परीक्षा के वर्ष हेतु योगात्मक निर्धारण–II के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण के अनुसार उत्तरवर्ती वर्ष में मार्च में आयोजित होने वाली उत्तरवर्ती परीक्षा में सभी विषयों में पुनः शामिल होना होगा। मुख्य परीक्षा में सभी रचनात्मक निर्धारण और योगात्मक निर्धारण–। में प्राप्त परीक्षार्थी के ग्रेड निष्पादन में सुधार के सभी अवसरों तक आगे ले जाए जाएगें।
(iii) मार्च परीक्षा में पूरक परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों का पाठ्य विवरण (सिलेबस) और पाठ्यक्रम वही होगा जैसा परीक्षा में बैठने वाले पूरे विषयों वाले परीक्षार्थियों पर लागू होगा।	(iii) उपर्युक्त (ii) को ध्यान में रखते हुए विलोप
(iv) पूरक परीक्षा में रखे गए विद्यार्थी को आगामी वर्ष मार्च/अप्रैल में होने वाली पूरक परीक्षा के दूसरे अवसर पर केवल उन्हीं विषयों में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी जिनमें उसे पूरक रखा गया हो।	(iii)(क) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में पूरक घोषित किसी परीक्षा को केवल उन विषयों में शामिल होने की अनुमति होगी जिनमें उसे पूरक के उत्तरवर्ती पांच अवसरों में पूरक घोषित किया गया हो।
(v) प्रायोगिक कार्य वाले विषयों के लिए, यदि कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, तो उसे केवल सिद्धान्त परीक्षा में बैठना होगा और पिछली प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है तो उसे	(iv) वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रायोगिक कार्य वाले विषयों के लिए यदि कोई परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है उसे केवल सिद्धान्त भाग में शामिल होना होगा और पिछले प्रायोगिक अंक आगे ले जाए जाएंगे और हिसाब में लिए जाएंगे,

सैद्धान्तिक परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर लेने के बावजूद भी सैद्धान्तिक और प्रायोगिक परीक्षा दोनों में ही बैठना होगा।	यदि कोई परीक्षार्थी प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण हो गया हो; उसे सिद्धान्त और प्रायोगिक दोनों में शामिल होना होगा इसके बावजूद कि वह सिद्धान्त परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर चुका/चुकी है।
(vi) वे अभ्यर्थी जिनका माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा–10वीं) में परिणाम पूरक रहा उन्हें उस वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित पूरक परीक्षा में प्रथम अवसर लेने तक 11वीं कक्षा में अस्थायी प्रवेष दिया जाएगा। यदि वह पूरक परीक्षा के प्रथम अवसर में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसका प्रवेष रद्द माना जाएगा।	(v)(क) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे उस वर्ष आयोजित होने वाले निष्पादन में सुधार के उत्तरवर्ती प्रथम अवसर मे उसके भाग लेने तक कक्षा xi में अस्थायी रूप से प्रवेष दिया जाएगा । उसका प्रवेष रद्द माना जाएगा यदि वह निष्पादन के सुधार के प्रथम अवसर में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) पांच विषयों में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता/रहती हैं।
(vi)(ख) नया नियम	(v)(ख) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता है उस वर्ष आयोजित होने वाली निष्पादन में सुधार परीक्षा में भाग लेने तक कक्षा xi में अस्थायी रूप से प्रवेष दिया जाएगा। उसका प्रवेष रद्द माना जाएगा यदि वह शैक्षिक क्षेत्र के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता/रहती हैं।

7	परीक्षाओं की योजना एवं उत्तीर्णता मानदंड	42 क	वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के संबंध में प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत रखना।
42.(क) यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में, पहली बार अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे आगामी वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। वह केवल सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा ही देगा/देगी और पूर्ववर्ती प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अग्रेनीत किया जाएगा तथा उनकी गणना की जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी पहले प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई तो उसे सैद्धान्तिक (लिखित) और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं देनी होंगी। यदि वह प्रथम प्रयास के उपरान्त तीन वर्ष तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता/पाती तो उसे प्रायोगिक परीक्षा सहित सभी विषयों की परीक्षा पुनः देनी होगी।		42(क) यदि कोई परीक्षार्थी वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में पहली बार अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे आगामी वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। वह केवल सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा ही देगा/देगी और पूर्ववर्ती प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अग्रेनीत किया जाएगा तथा उनकी गणना की जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी पहले प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई तो उसे सैद्धान्तिक (लिखित) और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं देनी होंगी। यदि वह प्रथम प्रयास के उपरान्त तीन वर्ष तक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता/पाती तो उसे प्रायोगिक परीक्षा सहित सभी विषयों की परीक्षा पुनः देनी होगी।	

7	परीक्षाओं की योजना एवं उत्तीर्णता मानदंड	43	अतिरिक्त विषय
43(i) अभ्यर्थी जिसने बोर्ड की माध्यमिक/सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में अतिरिक्त विषय ले सकते हैं बषर्ते कि अध्ययन योजना में वह विषय उपलब्ध हो और बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के 6 वर्षों के अन्दर हो। छह वर्षों तक समय सीमा के बाद कोई छूट नहीं होगी। अतिरिक्त विषय में उपस्थित होने की सुविधा केवल वार्षिक परीक्षा में ही उपलब्ध होगी।		43(i) अभ्यर्थी जिसने बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्रमाण पत्र तथा अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त किया है। बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में अतिरिक्त विषय ले सकता है बषर्ते कि अध्ययन की योजना में वह विषय उपलब्ध हो और बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के छह वर्षों के अन्दर हो। छह वर्षों तक समय सीमा के बाद कोई छूट नही होगी। अतिरिक्त विषय में उपस्थित होने की सुविधा केवल मुख्य परीक्षा में ही उपलब्ध होगी।	

(ii) तथापि वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में छह विषयों में बैठने वाले परीक्षार्थी नियम 40.1(क) के अनुसार पांच विषयों में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के कारण उत्तीर्ण घोषित किए जाने पर उसी वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विषय में बैठ सकता है।	(ii) तथापि वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में छह विषयों में बैठने वाले परीक्षार्थी नियम 40.1(क) के अनुसार पांच विषयों में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के कारण उत्तीर्ण घोषित किए जाने पर उसी वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विषय में बैठ सकता है।

7	परीक्षाओं की योजना एवं उत्तीर्णता मानदंड	44.2	निष्पादन में उच्च ग्रेड–माध्यमिक परीक्षा
44.2(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, केवल अगले वर्ष में मुख्य परीक्षा में निष्पादन में सुधार की परीक्षा में पुनः बैठक सकता है। बषर्ते कि इसी बीच उसने उच्च अध्ययन नहीं किया हो वह प्राईवेट अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठेगा। पूरी परीक्षा में पुनः बैठने वाला नियमित अभ्यर्थी के रूप में भी बैठ सकता है। परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए बैठने वाले अभ्यर्थी केवल उसी विषय(यों) में शामिल हो सकते हैं जिनमें वे उत्तीर्ण हो चुके हैं किन्तु उस विषय में नही जिसमें वे अनुत्तीर्ण घोषित हुए है।		44.2(i) जो विद्यार्थी बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्रमाण और शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करता है निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए परीक्षा में केवल अनुवर्ती वर्ष की मुख्य परीक्षा में पुनः बैठ सकता है बषर्ते कि इसी बीच वह उच्च अध्ययन में नही लगा हो। वह प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठ सकता/सकती है। पूरी परीक्षा में पुनः बैठने वाले नियमित अभ्यर्थी के रूप में भी बैठ सकते हैं। परीक्षा में निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी केवल उसी विषय(यों) में परीक्षा में बैठ सकते हैं। जिनमें उन्होंने न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त की है।	
(ii) प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय(यों) में सुधार के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी केवल सिद्धांत परीक्षा में भी बैठेगा और पिछले प्रायोगिक अंक को जमा किया जाएगा और उसे हिसाब में लिया जाएगा।		(ii) निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए बैठने वाला परीक्षार्थी वर्ष की परीक्षा के लिए केवल योगात्मक निर्धारण–।। के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में बैठेगा।	
(iii) ऐसा विद्यार्थी जो निष्पादन में सुधार के लिए परीक्षा में बैठता है उसे		(iii) निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी को कथित परीक्षा में प्राप्त ग्रेड	

मुख्य परीक्षा तथा अंक सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक दर्षाते हुए अंक विवरण जारी किया जाएगा। (iv) एक या अधिक विषयों में निष्पादन सुधार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी साथ–साथ अतिरिक्त विषय के लिए उपस्थित नहीं हो सकता।	दर्षाते हुए केवल विषयवार निष्पादन का विवरण जारी किया जाएगा। (iv) एक या अधिक विषयों में निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए बैठने वाला परीक्षार्थी एक ही समय अतिरिक्त विषय के लिए नही बैठ सकता।

8	गोपनीय कार्य	61	किसी विषय में परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों/ग्रेडों का सत्यापन
(i) ऐसा परीक्षार्थी, जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में शामिल हुआ है, किसी विषेष विषय में अंकों के सत्यापन के लिए बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सत्यापन में केवल इस बात की जाँच की जाएगी कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है और उस विषय में प्रत्येक प्रष्न के अंकों को जोड़ने में कोई चूक नहीं हुई है, और अंकों को उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पृष्ठ पर और एवार्ड सूची में सही रूप से अंतरित किया गया है और परीक्षार्थी द्वारा उल्लिखित उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न पूरक उत्तर पुस्तिका(एँ) ठीक ढंग से लगी हुई हैं। उत्तर पुस्तिका और पूरक उत्तर पुस्तिका(ओं) का कोई पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। (ix) अंकों के संषोधन के संबंध में सूचना यदि कोई हो तो, उचित समय के भीतर परीक्षार्थी को भेजी जाएगी। (xi) परीक्षार्थी द्वारा पिछले अंकों का विवरण लौटाने के बाद ऐसे परीक्षार्थी के संबंध में बोर्ड के विवरण को		(i) ऐसा परीक्षार्थी, जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में शामिल हुआ है, किसी विषेष विषय में बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के संबंध में ग्रेड/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा के संबंध में अंकों के सत्यापन के लिए बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन कर सकता है। सत्यापन में केवल इस बात की जाँच की जाएगी कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन किया गया है और उस विषय में प्रत्येक प्रष्न के अंकों को जोड़ने में कोई चूक नहीं हुई है, और अंकों को उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पृष्ठ पर और एवार्ड सूची में सही रूप से अंतरित किया गया है और परीक्षार्थी द्वारा उल्लिखित उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न पूरक उत्तर पुस्तिका(एँ) ठीक ढंग से लगी हुई हैं। उत्तर पुस्तिका और पूरक उत्तर पुस्तिका(ओं) का कोई पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। (ix) ग्रेडों में परिवर्तन/अंकों में संषोधन के संबंध में सूचना यदि कोई हो तो उचित समय के भीतर परीक्षार्थी को भेजी जाएगी। (xi) परीक्षार्थी द्वारा पिछले अंकों का विवरण लौटाने के बाद ऐसे परीक्षार्थी के संबंध में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के संबंध में

संषोधित करेगा।	विषयवार निष्पादन का विवरण/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा के संबंध में बोर्ड अंकों के विवरण को संषोधित करेगा।

9	प्रमाणीकरण	63	उत्तीर्णता/अर्हक प्रमाण पत्र अंक विवरण/विषयवार निष्पादन का विवरण
63.(i) ऐसे परीक्षार्थी के अंकों/श्रेणियों का विवरण जारी किया जाएगा जो बोर्ड की परीक्षा में बैठा है।		63.(i) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुआ है को बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए विषयवार निष्पादन का विवरण और वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए अंकों का विवरण जारी किया जाएगा।	
(ii) जो परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा में बैठा है और उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे उत्तीर्ण प्रमाणपत्र दिया जाएगा। फिर भी वह परीक्षार्थी, जो अपना परीक्षा निष्पादन सुधारने के लिए अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए परीक्षा में बैठा है, को एक अलग प्रमाण पत्र अथवा संयुक्त अंक विवरण जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी को उस विषय(यों) में अंकों का एक ही विवरण दिया जाएगा।		(ii)(क) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड की वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में शामिल हुआ है और परीक्षा उत्तीर्ण की हो को परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।	
(ii)(ख) नया नियम		(ii)(ख) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ है और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के कम से कम पांच विषयों में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त की हो, बोर्ड द्वारा अर्हक प्रमाण पत्र/विद्यालय के माध्यम से विद्यालय के माध्यम से विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ है और सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत सह–षैक्षिक क्षेत्र 'ख' के तहत विषयों में ग्रेड के	

(iii) नया नियम	साथ–साथ शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त की हो को विद्यालय आधारित निर्धारण 'क' प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। (iii) तथापि जो परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा संचालित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए/माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए अथवा अनुवर्ती परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए शामिल हुआ है को अलग से प्रमाण पत्र अथवा संयुक्त अंक विवरण/विषयवार निष्पादन का विवरण/विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों को केवल उस विषय(यों) में विषयवार निष्पादन का विवरण/अंकों का विवरण दिया जाएगा।

9	प्रमाणीकरण	64	अनंतिम प्रमाण पत्र
64(i) ऐसा परीक्षार्थी जिसने परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसको समय–समय पर निर्धारित शुल्क अदा करने पर बोर्ड द्वारा एक अनंतिम प्रमाण जारी किया जाएगा। 64(ii)ऐसा परीक्षार्थी जिसे पूरक घोषित किया गया हो को वास्तविक स्थिति बताते हुए अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है		64(i) परीक्षार्थी जिसने बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, उसको समय–समय पर निर्धारित शुल्क अदा करने पर बोर्ड द्वारा एक अनंतिम प्रमाण जारी किया जाएगा। 64(ii) जिस परीक्षार्थी को बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अध्ययन की योजना के अनुसार निष्पादन के सुधार/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में पूरक घोषित किया गया है, को वास्तविक स्थिति बताते हुए एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।		

9	प्रमाणीकरण	65	जन्म तिथि
65(i)बोर्ड के अभिलेख में परीक्षार्थी की जो जन्मतिथि दर्ज होगी उसी को माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय स्तर पर परीक्षार्थी को जारी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा। 65(ii)निर्धारित शुल्क अदा करने पर कोई परीक्षार्थी जन्मतिथि का प्रमाण पत्र बोर्ड से प्राप्त कर सकता है जो बोर्ड के अभिलेख में दर्ज है।		65(i) बोर्ड के अभिलेख में परीक्षार्थी की जो जन्मतिथि दर्ज होगी उसी को माध्यमिक तथा वरिष्ठ विद्यालय स्तर पर परीक्षार्थी को जारी उत्तीर्ण/अर्हक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किया जाएगा। 65(ii) कोई परिवर्तन नहीं।		

9	प्रमाणीकरण	66	प्रवास प्रमाण
66(i) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड की परीक्षा में बैठा है और उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, निर्धारित शुल्क अदा करके प्रवास (माग्रेषन) प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। 66(ii)पूरक रखे गए परीक्षार्थी को भी उसकी स्थिति बताते हुए प्रवास (माग्रेषन) प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है		66(i) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में बैठा है और अध्ययन की योजना के अनुसार बोर्ड द्वारा संचालित वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण / माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेता है। निर्धारित शुल्क अदा करके प्रवास पत्र(माइग्रषेन) प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। 66(ii) पूरक / निष्पादन में सुधार श्रेणी में रखे गए परीक्षार्थी को भी उसकी स्थिति बताते हुए प्रवास प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।	

9	प्रमाणीकरण	69.2	बोर्ड के प्रमाणपत्र में परिवर्तन – जन्म–तिथि में परिवर्तन / सुधार
69.2(i) बोर्ड के अभिलेख में एक बार दर्ज जन्म की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर भी, प्रमाण पत्र को विद्यालय अभिलेख के अनुकूल बनाने के लिए मुद्रण और अन्य त्रुटियों को ठीक करने के दोष सुधार किए जा सकते हैं बषर्ते कि परीक्षा में प्रवेष संबंधी आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय अभिलेख में दोष सुधार नहीं किया गया हो। (ii) वास्तव में लिपिकीय त्रुटियों के मामले में, किसी विद्यार्थी की जन्मतिथि में ऐसा दोष सुधार अध्यक्ष के आदेष से किया जाएगा, जहाँ अध्यक्ष के संतुष्ट हो जाने पर यह मान लिया गया हो कि परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की सूची / उसके आवेदनपत्र में गलत प्रविष्टि हो गई थी। (iii) जन्म तिथि में दोष सुधार संबंधी अनुरोध को निम्नलिखित की साक्ष्यांकित फोटोस्टेट प्रतियों सहित विद्यालय के		69.2(i) बोर्ड द्वारा संचालित वरिष्ठ विद्यायल परीक्षाओं में शामिल परीक्षार्थियों के संबंध में बोर्ड के अभिलेख में एक बार दर्ज जन्म की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर भी, प्रमाण को विद्यालय अभिलेख के अनुकूल बनाने के लिए मुद्रण और अन्य त्रुटियों को ठीक करने के दोष सुधार किए जा सकते है बषर्ते कि परीक्षा में प्रवेष संबंधी आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद विद्यालय अभिलेख में दोष सुधार नहीं किया गया हो। (ii) कोई परिवर्तन नहीं। (iii) कोई परिवर्तन नहीं।	

प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया जाएगा :– (क) विद्यालय में विद्यार्थी के दाखिले के लिए आवेदन पत्र। (ख) दाखिला एवं निवासी रजिस्टर के पृष्ठ का भाग जहां जन्म तिथि की प्रविष्टि की गई है के साथ दाखिले के समय जन्म तारीख के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नगर प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की साक्ष्यांकित प्रति, यदि उपलब्ध हो, (ग) दाखिले के समय प्रस्तुत किए गए पिछले विद्यालय का विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र।	
(iv) उप–विधि 69.2(iii) में उल्लिखत दस्तावेजों के साथ विद्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत् अग्रेषित जन्म की तारीख में दोष सुधार संबंधी आवेदनपत्र पर कक्षा X की परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तारीख से दो वर्ष की उक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्र में कोई दोष सुधार नहीं किया जाएगा।	(iv) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के संबंध में उप–विधि 69.2(iii) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ विद्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत् अग्रेषित जन्म की तारीख में दोष संबंधी आवेदन पत्र पर कक्षा X/XII की परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर ही बोर्ड द्वारा विचार किया जाए जैसा भी मामला हो। उन विद्यार्थियों के मामलों में जो बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं में माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शामिल हुए है, दो वर्ष की गणना माध्यमिक विद्यालय परीक्षा परिणाम की घोषणा तिथि से की जाएगी। दो वर्ष की उक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर कोई दोष सुधार नही किया जाएगा।

10	संयुक्त अक्षयनिधि छात्रवृत्ति	70(i)(iii) 70.1, 70.2 70.4	सामान्य शर्तें–चयन प्रक्रिया, पात्रता अवधि
70(i) इन उपविधियों के प्रावधान के अधीन, बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर विभिन्न अक्षयनिधियों में प्राप्त निधियों से बोर्ड समय–समय पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगा। (ii) छात्रवृत्तियाँ 1989 की परीक्षाओं से दी जा रही हैं।		70(i) इन उपविधियों के प्रावधान के अधीन बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर बोर्ड समय–समय पर छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा। (ii) एकल बालिका सन्तान के लिए मैरिट छात्रवृत्ति 2006 से ही जा रही है और	

	केवल भारतीय नागरिक को प्रदान की जाएगी।
(iii) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या पांच होगी।	(iii) छात्रवृत्तियों की संख्या परिवर्तन है और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड पाइंट 7 प्राप्त करने वाली ऐसी सभी एकल बालिका छात्रों को प्रदान की जाएगी।
(iv) प्रत्येक छात्रवृति का मूल्य 60/– प्रति माह जो 24 महीने के लिए देय होगी।	(vi) प्रत्येक छात्रवृति का मूल्य समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो 24 माह के लिए समर्थनीय होगी
(v) यदि कोई छात्रवृत्तिधारक छात्रवृत्ती पाने का पात्र नहीं रहता है तो यह (छात्रवृत्ति) बोर्ड को व्यपगत हो जाएगी।	(v) छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकरणीय होगी और विद्यार्थी के अगली उच्च कक्षा में कुल अथवा अधिक अंकों के साथ प्रोन्नत होने पर निर्भर करेगा।
(vi) छात्रवृत्ति संबंधी सभी मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।	(vi) कोई परिवर्तन नहीं।
70.1(i) विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र की संख्या के अनुसार विद्यार्थियों को वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात सर्वप्रथम 5 विषयों में उत्कृष्टता प्रमाण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, इसके बाद 4 विषयों और इससे कम विषयों में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थी।	70.1 उपर्युक्त 70 को ध्यान में रखते हुए विलोप।
(ii) यदि कोई विद्यार्थी उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें बाह्य परीक्षा के सभी विषयों में उनकी श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।	
(iii) यदि विद्यार्थी श्रेणियों में बराबर होते है तो निर्णय कुल अंकों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।	

(iv) यदि विद्यार्थी का योग भी बराबर है तो उसी क्रम में गणित और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में अलग–अलग अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।	
70.2 छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ता अपनी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा :–	70.1 छात्रवृत्ति प्राप्तकर्त्ता अपनी छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा :–
(क) उच्च अध्ययन प्राप्त करने के लिए भारत में किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षिक संस्था में अपना दाखिला लेने पर।	(क) कोई परिवर्तन नहीं।
(ख) अध्ययन में उत्कृष्ट आचरण और संतोषजनक प्रगति होने पर, जो संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित होगा।	(ख) कोई परिवर्तन नहीं।
(ग) संस्था के उपस्थिति रजिस्टर में बने रहने पर।	(ग) कोई परिवर्तन नहीं।
(घ) कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न करने पर।	(घ) विलोप क्योंकि योजना में कोई प्रावधान नहीं है।
70.3 भुगतान का तरीका	
(i) छात्रवृत्ति का भुगतान प्राप्तकर्त्ता को सीधे नहीं किया जाएगा। उसका भुगतान प्राप्तकर्त्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र पर एक बिल प्रस्तुत करने पर संबंधित संस्थान के प्रमुख के माध्यम से किया जाएगा।	70.2 छात्रवृत्ति का भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विद्यार्थी के खाते में हस्तान्तरण के माध्यम से किया जाएगा।
(ii) छात्रवृत्ति का भुगतान एक बार में एक चौथाई से कम का नही किया जाएगा।	
70.4 छात्रवृत्ति माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद दो वर्षों की अवधि के लिए समर्थनीय होगी जो प्राप्तकर्त्ता को छात्रवृत्ति प्रदान करने का आधार था।	70.3 छात्रवृत्ति बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद दो वर्षो की अवधि के लिए समर्थनीय होगी, जो प्राप्तकर्ता को छात्रवृत्ति प्रदान करने का आधार था।

शुल्क के स्केल के संबंध में परिषिष्ट II के क्रम सं0 13 में संषोधन

विवरण	2010 परीक्षाओं तक विद्यमान	विवरण	2011 परीक्षाओं से कार्यान्वित किया जाना है
1		बिना विलम्ब शुल्क अंतिम तिथि	15 सितम्बर
अंतिम तिथि से प्रथम 10 दिन	रू. 100/– प्रति विद्यार्थी	रू. 100/– प्रति विद्यार्थी विलम्ब शुल्क के साथ अंतिम तिथि	30 सितम्बर तक
अगले 15 दिन	रू. 200/– प्रति विद्यार्थी	रू. 200/– प्रति विद्यार्थी विलम्ब शुल्क के साथ अंतिम तिथि	15 अक्तूबर तक
अगले 25 दिन	रू. 300/– प्रति विद्यार्थी	रू. 300/– प्रति विद्यार्थी विलम्ब शुल्क के साथ अंतिम तिथि	30 अक्तूबर तक

शुल्क के स्केल से संबंधित परिषिष्ट –II के क्रम सं0 12 में संयोजन(अन्य शुल्क)

प्रत्येक वर्ष पंजीकरण फार्म की प्राप्ति :–

(i) बिना विलम्ब शुल्क : 31 अगस्त तक
(ii) रू. 10/– प्रति विद्यार्थी विलम्ब शुल्क : 15 सितम्बर तक
(iii) रू. 20/– प्रति विद्यार्थी विम्ब शुल्कः : 30 सितम्बर तक
(iv) रू. 30/– प्रति विद्यार्थी विलम्ब शुल्क के साथ अगले 15 दिन : 15 अक्तूबर तक

(एम.सी. शर्मा)
परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि

1. बोर्ड से संबद्ध सभी संस्थाओं के प्रमुख।
2. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18, इन्स्टिट्यूषनल एरिया, षहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली –110016।
3. निदेषक, नवोदय विद्यालय समिति, ए–28, कैलाष कालोनी, नई दिल्ली ।
4. षिक्षा निदेषक, षिक्षा निदेषालय, रा"ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054
5. षिक्षा निदेषक, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर –744101
6. जन अनुदेषन निदेषक (विद्यालय), रा"ट्रीय राजधानी क्षेत्र सचिवालय सेक्टर–9, चण्डीगढ़–160017
7. विद्यालय षिक्षा निदेषक, अरूणाचल प्रदेष सरकार, ईटानगर–791111
8. षिक्षा निदेषक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्कम–737101
9. सचिव, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रषासन, ई एफ एफ ई एस एस प्लाजा, सैक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली –110085
10. उप निदेषक, षिक्षा, सीमा सुरक्षा बल, ब्लॉक–10 सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
11. अतिरिक्त महानिदेषक, सेना षिक्षा निदेषालय, ए–विंग, सेना भवन, डी.एच.क्यू–पी.ओ., नई दिल्ली।
12. सचिव, ए.डब्ल्यू.ई.एस., आर्मी हैडक्वार्टर, एडजूटेंट जनरल ब्रांच, सी.डब्ल्यू–4 आर्मी वेलफेयर एजुकेषन सोसाइटी, वेस्ट ब्लॉक न.3, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
13. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय अधिकारी ।
14. सीबीएसई के अध्यक्ष महोदय के कार्यकारी अधिकारी को सूचनार्थ ।
15. सभी विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी, सीबीएसई के व्यक्तिक सहायक को सूचनार्थ ।
16. संयुक्त सचिव (आई.टी.), सीबीएसई को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को वेबसाईट पर अपलोड करें ।
17. षिक्षा अधिकारी के.मा.षि.बो. को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सेनबोसेक के आगामी अंक में मुद्रित किया जाए।
18. सभी षिक्षा अधिकारी के.मा.षि.बो.।
19. जनसम्पर्क अधिकारी के.मा.षि.बो. दिल्ली।

परीक्षा नियन्त्रक